रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 24, 1988/कार्तिक 2, 1910
No. 221] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 1988/KARTIKA 2, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 64 आई. टी. सी.

(पी. एन.)/88--91

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1988

विषय:--508 मिलियन येन की जापान अनुदान सहायता (1987-88) के अन्तर्गत क्षेत्रीय केन्सर केन्द्रों के लिए जापान से चिकित्सा उपस्करों और सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंसिंग शर्तें ।

आई. पी. सी. /23(44)/88--91.--1987-88 के लिए 508 मिलियन येन की जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्रों के लिए जापान से चिकित्सा उपस्करों और और सेवाओं के आयात को नियंत्रित करने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है।

हस्ताक्षर/--

राजीव लोचन मिश्र,
मुख्य नियंत्रक (आयात निर्यात)

वाणिज्य मंत्रालय की

सार्वजनिक सूचना सं. 64--आईटीसी. (पी एन)/

88--91 दिनांक 24-10-1988

का परिशिष्ट

1987-88 के लिए 508 मिलियन येन की जापान अनुदान सहायता के अंतर्गत क्षेत्रीय केन्सर केन्द्रों के लिए जापान से भारत में उपकरण लगाने/उनका पत्तनों

तक परिवहन और उनका जापान से भारत में आंतरिक परिवहन के लिए चिकित्सा उपकरण और आवश्यक सेवाओं की खरीद हेतु लाइसेंसिंग शर्तें ।

खण्ड-1 सामान्य शर्तें :—

1(1) 1987-88 के लिए 508 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता का उद्देश्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिकित्सा उपकरण और सेवाओं/और भारतीय पत्तनों पर उनके परिवहन के लिए आवश्यक सेवाओं और उनके आन्तरिक परिवहन की खरीद के जापानी संभरकों को भुगतान करने से है ।

1(2) आयातक के नाम में आयात लाइसेंस कुल मिलाकर 558 मिलियन येन (लागत बीमा भाड़ा) मूल्य से अधिक के लिए जारी नहीं किए जाने चाहिए और उन पर एक शीर्षक 1987-88 के लिए 508 मिलियन येन जापानी अनुदान सहायता होना चाहिए । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस संकेत "एस/जे एन" होगा।

1(3) इस अनुदान सहायता के अधीन उपकरण तथा सेवाएं केवल जापान/भारत से प्राप्त किए जाने चाहिए । क्रय आदेश केवल जापानी राष्ट्रिकों के साथ ही जापानी येन में दिए जाने चाहिए।

1(4) आयात लाइसेंस 31-3-1989 तक की अवधि के साथ लागत बीमा भाड़ा के आधार पर जारी किया जाएगा।

1(5) संविदा में नकद आधार पर अर्थात् बैंक आफ इंडिया, टोकियो की जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । उसमें मुपुर्दगी की अवधि के लिए भी इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए :—

"मुपुर्दगी 15-3-1989 तक पूर्ण की जानी है।"

1(6) लागत बीमा भाड़ा के आधार पर संविदा का मूल्य येन में दर्शाया जाना चाहिए (येन की भिन्न को हटाया जाना चाहिए) और यदि कोई हो तो भारतीय अभिकर्ता का कमीशन शामिल नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रुपये या अन्य किसी मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए ।

जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जानी चाहिए, परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त येन धनराशि होगी।

1(7) क्रय संविदा जापानी येन में केवल जापानी राष्ट्रिकों के साथ की जानी चाहिए ।

1(8) इस अनुदान सहायता के अधीन माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति जापानी सम्भरकों के लिए सीमित खुली निविदा के आधार पर की जानी चाहिए और और संविदा न्यूनतम निर्धारित मूल्य और तकनीकी संतोषजनक बोलीकारों को दी जानी चाहिए । यदि यह प्रस्ताव किया जाए कि इस अनुदान के अधीन माल और सेवाएं सीधे सौदे करके प्राप्त करनी हो तो वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) के माध्यम से जापान सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाए ।

खण्ड —2.—संभरक ठेकों में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए :—

2(1) 1987-88 के लिए 508 मिलियन येन की अनुदान सहायता से संबद्ध इस संविदा की व्यवस्था 21 अप्रैल, 1988 को भारत जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है और यह दोनों सरकारों के अनुमोदन के अधीन होगी ।

2(2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस "भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र" (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1987-88 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक आफ इंडिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, यू सी ओ बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

2(3) जापानी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत है जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हों।

2(4) जापानी संभरक भारतीय दूतावास टोकियो के साथ विचार-विमर्श करके पोत लदान प्रबंध करने के लिए सहमत हो गया है और इस उद्देश्य से वह अन्तर्गस्त माल की डिलीवरी की अनुसूची के बारे में भारतीय दूतावास, टोकियो को सूचित करता रहेगा और कम से कम छः हफ्ते पहले अपेक्षित पोतलदान की अग्रिसूचना भारतीय दूतावास को देगा ताकि समुचित प्रबंध किए जा सके । अपवाद स्वरूप अगर आयातकर्ता चाहे तो नोटिस की इस अवधि को कम किया जा सकता है । जापान संभरक प्रत्येक पोतलदान के बाद आयातकर्ता को केबल द्वारा आवश्यक ब्यौरे की सलाह देने के लिए भी सहमत होगा तथा उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जाएगी ।

खण्ड-3 भारत सरकार और जापान द्वारा ठेके का अनुमोदन ।

3(1) जैसे ही आदेशों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित

ठेके की पांच प्रतियां या जापानी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ जापानी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां सहित सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबन्ध-1 के प्रपत्र में "ए/पी" जारी करने के साथ आवेदन" की दो प्रतियों सहित अवर सचिव (टी.सी.) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय-वस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक आशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी।

3(2) वित्त मंत्रालय (डीईए) जापान अनुभाग 1987-88 के लिए 508 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अधीन वित्तदान देने के लिए संविदा की दो प्रतियां जापान सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक एक सैट लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के दूतावास, टोकियो को भेजा जाएगा।

3(3) जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक का जापान अनुभाग उसकी सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को देगा जो कि जापानी संभरक को भुगतान करने के लिए बैंक आफ इंडिया टोकियो को अनुबन्ध-2 के अनुसार एक "भुगतान प्राधिकार" पत्र (ए/पी) जारी करेगा। प्राधिकार पत्र (एपी) की प्रतियां भारत का दूतावास टोकियो, आयातक, भारत में आयातक भारत बैंक और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएगी।

3(4) भुगतान के लिए प्राधिकर पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया टोकियो जापान भारत का राजदूतावास टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा।

3(5) पोतलदान करने के बाद जापानी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि जापानी संभरक को अपने बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा।

3(6) जापानी संभरक को भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोक्यो को देय बैंकिंग प्रभारों का भुगतान आयातकर्त्ता विभाग की ओर से भारतीय दूतावास टोक्यो करेगा। सीए एएण्डए, नई दिल्ली से उपयुक्त सलाह प्राप्त होने पर आयातकर्ता विभाग, इन प्रभारों के बराबर रुपये का भुगतान लेखा नियंत्रक, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को करेगा।

खण्ड—4 रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व

4(1) मूल विनिमय पोत परिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक आफ इंडिया टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की जो अनुबन्ध-1 के (प) में उल्लिखित है, की शाखा होगी। उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनिमय सैट केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही सम्बद्ध आयातक को देने चाहिए कि जापानी संभरक को चुकाई गई येन धनराशि के बराबर रुपया सार्वजनिक सूचना सं. 74–आईटी सी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और जिसे सार्वजनिक सूचना सं. 103–आईटी सी (पीएन)/76, दिनांक 17-10-76 द्वारा संशोधित किया गया था कि शर्तों के अनुसार सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया है। भुगतानों की देय धनराशि के बराबर रुपये की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं. 8–आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस बात का सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संबद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने के पहले ही देय धनराशि लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। यह सुनिश्चय करने की आयातक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि सरकारी लेखे में शीघ्र जमा करवा दी गई है जब कि उन्होंने विशेष परिस्थितियों में सीमाशुल्क प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी प्राप्त की हो। उस मामले में जब आयातक सरकार को देय धनराशि माल छुड़ाने से पूर्व जमा करवाने में असमर्थ होता है तो उसे आगे ए/पी जारी करना रोक दिया जाएगा और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को तथ्यों से अवगत करवाया जाएगा जिससे ऐसे आयातक को आगे कोई आयात लाइसेंस न जारी किया जाए। केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा किए गए आयातों के संबंध में किसी किस्म का ब्याज नहीं लिया जाएगा। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह "के डिपाजिट्स एण्ड एडवान्सिज-843 सिविल डिपाजिट्स-डिपाजिट फोर परचेजिंग एटसट्रा-एब्राड परचेजिज अन्डर ग्रान्ट एंड फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान" फार 1987-88 ग्रान्ट फार परचेज आफ दी मेडिकल इक्विपमेंट एण्ड सर्विसिज नेसेसरी फार दिस इन्स्टालेशन/ट्रान्सपोर्टेशन आफ इक्विपमेंट टू पोर्टस इन इंडिया एण्ड दोज फार इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेशन देयर इन होगा।"

4(2) उल्लिखित धनराशि चालान के दाहिने ओर कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिए या यदि यह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी शाखा या इसके उपसंगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुण्डीकर्ता) से प्राप्त एक हुण्डी (डिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (हुण्डी ग्राह्य और प्राप्क) में सार्वजनिक सूचना सं. 148-आई टी सी (पी एन)/68 ,दिनांक 30-8-68, सं. 233-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन परेषण करना चाहिए।

4(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर संबद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धनप्रेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) वित्त मंत्रालय भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (एपी) की सं. और दिनांक ;

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं ;

(ग) जापानी संभरक को भुगतान करने की तिथि ;

(घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए वह गिना गया है ;

(ङ.) जमा की गई कुल धनराशि।

उसके पश्चात सीएए द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोतपरिवहन दस्तावेजों की प्रतियों को संलग्न करते हुए खजाना चालान द्वारा जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक सीएए एण्ड ए को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी : —भारत में आयातक बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपये का निक्षेप बैंक आफ इंडिया, टोकियो में अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप में किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सीएए एण्ड ए वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

4(4) भारत में संबंद्ध बैंक आफ इंडिया, को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड—5 विविध प्रावधान

5(1) अनुदान सहायता के उपयोग की रिपोर्ट

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोतलदानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के संबंध में और जो पोतलदान होने बाकी हैं उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सीएए एण्ड ए आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, यूसीओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

आयातक को चाहिए कि वह इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत माल के आयात से संबंधित किसी ऐसी विशेष शर्त से संभरक को अवगत कराए जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डालती हो।

5(2) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि आयातक और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें साफ-साफ विवाद से अनुबन्ध में संविदा की शर्तें भी शामिल होनी चाहिए।

5(3) भविष्य अनुदेश

आयातों या उनके संबंध में उत्पन्न किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित जापान से 1987-88 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आयातों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों या अनुदेशों का आयातक को तुरन्त पालन करना होगा।

5(4) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

5(5) अनुबन्धों की सूची

अनुबन्ध-1 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र ।

अनुबन्ध-2 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) का प्रपत्र ।

अनुबन्ध-1

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र संख्या————————

सेवा में,

सहायक लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
यू.सी.ओ. बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 ।

विषय : — 1987-88 के लिए 508 मिलियन येन की जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत में उपकरण लगाने/उनका पत्तनों तक परिवहन और उनका जापान से भारत में आंतरिक परिवहन के लिए चिकित्सा उपकरण और आवश्यक सेवाओं की खरीद ।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से उपर्युक्त उपस्कर के आयात के सम्बन्ध में हम आपको निम्नलिखित ब्यौरा भेजते हैं । जिससे कि आप सम्बद्ध जापानी संभरक के पक्ष में बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी कर सकें ।

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता ।

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और तिथि जब तक यह वैध है ।

(ग) अधिप्राप्ति के तरीके क्या यह प्रत्यक्ष खरीद पर आधारित हैं या सीमित खुली निविदा पर आधारित हैं । इस मामले में कारणों सहित यह निर्दिष्ट करना है कि क्या संविदा का निर्णय उपर्युक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण ।

(ङ) माल का उद्गम देश ।

(च) संविदा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में) ।

(छ) यदि कोई हो तो, भारतीय रुपये में भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि (येन में) ।

(ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है ।

(झ) जापानी संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और दिनांक ।

(ञ) जापानी संभरक का नाम और पता ।

(ट) वे भुगतान और संभावित तिथि जिनको संविदाओं के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे ।

(ठ) माल की सुपुर्दगी पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथियां ।

(ड) बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दर्शाते हुए)

(ढ) पोतलदान अनुदेश (अनुमेय का गैर अनुमेय वाहनान्तरण/आंशिक पोतलदान निर्दिष्ट कीजिए ।

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता ।

(त) आयातक द्वारा वचनबद्धता :—हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि हम विदेशी संभरक को देय धनराशि के समतुल्य रुपये की पूर्ण धनराशि को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि से और प्रचलित दर पर सही रूप से जमा करवा देंगे । माल (आयातित सामग्री) के प्रत्येक परेषण की सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्ण राशि शीघ्र ही जमा करवा दी जाएगी । विदेशी राष्ट्रिकों की सेवाओं के लिए भुगतान के मामलों में, जैसे ही हमारे द्वारा विदेशी संभरक के संगत बीजक अनुमोदित किए जाते हैं और संभरक को भुगतान किया जाता है वैसे ही राशि जमा करवा दी जाएगी ।

भवदीय,

अनुबन्ध 2

संख्या एफ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नयी दिल्ली, दिनांक

सेवा में

बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय :—1987-88 के लिए 508 मिलियन येन की जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत में उपकरण लगाने/उनका पत्तनों तक परिवहन और

उनका जापान से भारत में आंतरिक परिवहन के लिए चिकित्सा उपकरण और आवश्यक सेवाओं की खरीद।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ ············ को दिए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा परिशिष्ट में दिए गए यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री ············ को ··············· येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकारपत्र (ए/पी) की पावती के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा सांकेतिक लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जायगा।

4. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज संभरकों एवं बैंकरों के प्रभार को भेजने आदि के लिए भाड़े सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े आयातक के बैंक के द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

5. जैसे ही जापानी संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेजों आदि के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

7. यह भुगतान प्राधिकारपत्र ·············· तक वैध रहेगा।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक ······················ को उनके पत्र सं ············ दिनांक ·········· के संदर्भ में/उनसे अनुरोध किया जाता है कि वह बैंकरों से परक्राम्य दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पूर्व अपने बैंकरों के माध्यम से रुपये निक्षेप आदि को जमा करवाने की व्यवस्था करें। यदि विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना सीमा शुल्क प्राधिकारियों और पत्तन के प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी सीधे ही प्राप्त कर ली हो, तो वहां सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्व धनराशि जमा करवानी चाहिए। विदेशी संभरकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसे ही भुगतान के लिए बीजक अनुमोदित किए जाते हैं वैसे ही धनराशि जमा करवा देनी चाहिए। शीघ्र ही और सही रुप से धनराशि जमा करवाने में असमर्थ होने पर लाइसेंसिंग शर्तों में उल्लिखित कार्यवाही की जायगी।

2. आयातक का बैंक ·············· उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर जापानी संभरकों को येन भुगतान के बराबार रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं.- 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17.1.76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने को तिथि की यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। यदि इस दर में कोई परिवर्तन होगा तो इसकी सूचना तुरन्त दी जाएगी। इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सीमा शुल्क निकासी के लिए आयातक को दस्तावेज का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धन राशि जमा कराई जाती है।

3. ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशित और आदाता) के नाम में और उसकी देयदर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 233-आई टी सी (पी न)/68- दिनांक 24.10.68, सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5.10.71 सं 74 आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31.5.74 और सं. 103 आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12.10.76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड ऐडवांसिज-843 सिविल डिपाजिट-डिपाजिट्स फार परचेजिस एटसेक्ट्रा एब्राड परचेजिज अन्डर ग्रान्ट एण्ड फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1987-88 अन्डर डिटैल्ड हैड "508 मिलियन येन ग्रान्ट एण्ड फार पर्चेज आफ दि मेडिकल इक्विपमेंट टू पोर्टस इन इंडिया एण्ड दीज फार इन्टरनेल ट्रांसपोरटेशन दियरइन।"

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन/71, दिनांक 5.10.71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रुप में एक प्रति बैंक आफ इंडिया टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण

देते हुए प्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी

लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग),
पहली मंजिल, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतिक सार्वजनिक सूचना दिनांक 24.10.88 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में ब्याज को चुकाई गई धन-राशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपये का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए ।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के प्रभारों सहित बैंक आफ इंडिया, टोकियो, शाखा के बैंक प्रभार यदि कोई हो तो वह आयात करने वाले विभाग की ओर से भारत के राजदूतावास टोकियो द्वारा अदा किए जाएंगे । इन प्रभारों के समतुल्य रुपये की गणना उपर्युक्त उल्लिखित विधि के अनुसार की जाएगी और उन्हें लेखा नियंत्रक, विदेश मंत्रालय के नाम में जमा करा दिया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए सी ए ए एण्ड ए विभाग को उपयुक्त परामर्श जारी करेगा ।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो ।

5. अवर सचिव (टी सी) शाखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली ।

(लेखा अधिकारी)

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 64-ITC(PN)/88-91

New Delhi, the 24th October, 1988

Sub : Licensing conditions for import of medical equipment and services from Japan for Regional Cancer Centres under the Japanese Grants Aid of Yen million (1987-88).

File No. IPC/23(44)/88-91 —The terms and conditions governing import of medical equipment and services from Japan for Regional Cancer Centres under the Japanese Grant Aid of Yen 508 million for the year 1987-88, as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

Sd/-

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

Appendix to the Ministry of Commerce Public Notice No. 64-ITC(PN)/88-91 dt. 24-10-1988

Licensing conditions for purchase of Medical Equipment for Regional Cancer Centres and services necessary installatic for transportation of the equipment to Ports in India and these for Internal Transportation therein under Japanese Grant Aid for 1987-88 if Yen 508 million by the Ministry of Health and FW.

Section 1. General Conditions

1. (i) The Japanese Grant Aid for 1987-88 of Yen 508 Million is intended to be used for financing payments to Japanese Suppliers for purchase of medical equipment and services necessary for the transportation thereof to ports in India and these for internal transportation therein by the Ministry of Health and F.W.

I.(ii) The import licence should be issued for an amount not exceeding Yen 558 Million (CIF) in favour of the importer and should bear the superscription "Yen 508 million Japanese Grant Aid for 1987-88". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN".

I.(iii) The equipment and services shall be procured only from Japan/India under this grant aid. The purchase order should be placed only on the Japanese supplier.

I.(iv) The import licence will be issued on CIF basis with validity upto 31-3-1989.

1.(v) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese Suppliers to the Bank of India, Tokyo. It should also provide for the period of delivery as follows :

"delivery to be completed by 15-3-1989"

I.(vi) The contract value (C&F/FOB basis) should be expressed in Yen (fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agents Commission, if any. In no circumstances the contract value should be expressed in any other currency.

The FOB cost and freight amount should be shown separately but it should be clarified in the contract itself whether the freight will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

I.(vii) The purchase contract should be entered into only in Japanese Yen with the Japanese Nationals.

I.(viii) The procurement of goods and services under this grant aid should be done on the basis of an open tender confirmed to Japanese suppliers and the contract awarded to the lowest evaluated and technically acceptable bidder. In case it is proposed to procure the goods and services under this grant on direct negotiation basis prior approval of the Govt. of Japan may be obtained through the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

Section II. The following provision should be specifically incorporation in the supply contract :—

II. (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 21st April, 1988 between the Government of India and Government of Japanese Concerning the Grant Aid of Yen 508 milion for 1987-88 and will be subject to the approval of both the Government.

II. (ii) Payments to suppliers shall be made through an Authorization to Pay (A|P)' which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1987-88.

II (iii) The Japanese suppliers agree be furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan or the other.

II (iv) The Japanese supplier agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases where the importer require at this period of notice may be reduced. The Japanese suppliers should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section III. Contract Approval by Government of India and Japan.

III. (i) As soon as the orders are finalised, the importer should forward to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 5 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order confirmation in writing by the Japanese supplier or their photo copies complete in all respects together with two copies of the tender evaluation form at Annex-I. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modification to the contents of contracts or in its price.

III. (ii) The Ministry of Finance (DEA), Japan Section will arrange to send two copies of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1987-88 of Yen 508 million. and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to CAA&A and the Embassy of India in Tokyo simultaneously.

III. (iii) On receipt of the contract approval from the Government of Japan, Japan Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, will inform the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 of the same who will issue an 'Authorisation to Pay (A|P)' to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure II for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A|P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

III. (iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A|P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the Japanese supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

III. (v) The Japanese supplier shall, after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A|P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Japanese supplier through his bankers.

III. (vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for arranging the payment to the Japanese supplier shall be paid by the Embassy of India, Tokyo on behalf of importing Department. Rupee equivalent of these charges will be paid by the importing Department to the Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, New Delhi on receipt of suitable advice from the CAA&A, New Delhi.

Section IV. Responsibility for rupee deposit.

IV. (i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo to the concerned imporer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (o) in Annexure I who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen payments made to the Japanese supplier is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-74 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange control circulars of the Reserve Bank of India. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further A|P to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import licence is issued to such an importer. No interest charges are recoverable in respect of imports

made by Central Government Departments. The Head of account to which the above rupee deposits should be credited to "K-Deposits and Advances-843—Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad-purchase under Grant Aid from the Government of Japan for 1987—88"—Grant for purchase of the medical equipment and services necessary for the installation|transportation of equipment to parts in India and these for internal transportation therein.

IV. (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, indicating Code No. 5130000009 on the right and corner of the Challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee|and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)|68 dated 30-6-68, No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74, dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976.

IV (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the Importers|their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976 if invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in one Treasury Challans :

(a) Ministry of Finance A|P (Authorisation to Pay) No. & date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of Payment to the Japanese supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A|P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately thereafter.

IV (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite 'S' Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section V. Miscellaneous provisions

V. (i) Reports on the utilization of the Grant Aid

The importer should send a monthly report after the A|P has been issued regarding shipments and payments made the Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

The importer should apprise the supplier of any special provisions in the import of goods under this Grant Aid which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

V. (ii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any that may arise between the importer and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure of disputes be included in the condition of contract.

V. (iii) Future Instructions

The importer shall promptly comply with any direct instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the imports and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1987-88 from Japan.

V. (iv) Breach or violation

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

V. (v) List of Annexure

Annexure-I :—Request for issue of A|P.

Annexure-II :—Form of A|P.

ANNEXURE-I

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

No.

To

The Controller of Aid Accounts and Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street, New Delhi-110001.

Subject :—Purchase of medical equipment and services necessary for tho installation|transportation of the equipment to ports India and those for internal transportation therein from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 508 million for 1987-88.

Sir,

In connection with the import of above mentioned equipment from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A|P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Japanese supplier concerned :—

"(a) Name and address of Indian Importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Gross C&F or FOB value of contract (in Yen).

(g) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.

(h) Net C&F or FOB value (in Yen) for which the A|P is required.

(i) Name & address of the Japanese supplier.

(j) Name & address of the Japanese supplier.

(k) Payment terms & probable dates on which payments under the contract will fall.

(l) Expected date of completion of deliveries.

(m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate, if transhipment|partshipment permitted or not permitted).

(o) Name and address of Importer's Bank in India.

(p) Undertaking by the Importer's bank in India undertaken to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc., of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Govt. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant Invoices of the foreign supplier are approved by us and the payments made to the suppliers".

Yours faithfully,

ANNEXURE-II

No. F.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 1988

To,

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject :—Purchase of equipment and services necessary for the installation|transportation of the equipment to ports in India and those for internal transportation therein, from Japan under Japanese Grant Aid of Yen 508 million for 1987-88. Issue of Authorisation to Pay.

Dear Sir,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated..................entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not acceeding Yen......................to M|s.........................as per details given in the appendix.

2. Please advice the Supplier of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A|P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payment to the suppliers in terms of the A|P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. Banking charges including, charges for handling documents and charges of Overseas Suppliers, Bankers if any payable to you by the importer, will be paid by the Embassy of India, Tokyo.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendment to this A|P may be advised in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. This A|P will remain valid upto.....

Yours faithfully,

( )
ACCOUNTS OFFICER

Copy forwarded to :—

1. Importer.....with reference to their letter No.....dated .....

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign Nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the Licensing conditions.

2. Importer's Banker..... They are requested to arrange to deposit the rupees equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Any changed in this rate will be intimated if any when made. It should be ensured that these deposits are made before, the original set of import documents are handed over to importer for Customs Clearance.

3. These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the SBI, Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the SBI or its subsidiaries or any one of the Nationalised Bank (Drawer) Drawn on and made payable to the SBI, Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)|68 dt. 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1977 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-76. The head of account to be credited is "K-Deposits and Advances-843—CIVIL Deposits-Deposit for purchases etc. abroad purchases under Grant Aid from Government of Japan for 1987-88 under detailed head "508 million grant aid for purchase of the medical of equipment to ports in India and those for internal transportation therein."

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi of the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

3. The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1986 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

Banking charges of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers, bankers, if any, would be paid by the Embassy of India, Tokyo, on behalf of the importing Deptt. Rupee equivalents of these charges will be calculated in the above manner and deposited in favour of Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, New Delhi for this purpose CAA&A will issue suitable advices to the Department.

4 Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TC), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

ACCOUNTS OFFICER)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988